

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर नगर।

परिवाद संख्या 1393/2022

सुशील कुमार गौतम बनाम देवेन्द्र सिंह चौहान आदि

30.08.2024

पेश हुआ। पुकारा गया। परिवादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। अवसर प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है। परिवादी विगत तिथियों पर भी अनुपस्थित रहा। समय 4 बजे तक प्रतीक्षा की गयी परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। तलबी हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण को विचारण हेतु समन करने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में परिवाद धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सुदामा प्रसाद)

विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)
कानपुर-नगर